

एम.ए.सी.पी. संख्या २५६/२०२०,

१. जगदेव कुमार उम्र करीब २७ वर्ष पुत्र श्री बलवान  
२. भविष्य उम्र लगभग १ वर्ष ६ माह नाबालिग पुत्र जगदेव कुमार नाबालिग पुत्र संरक्षक (पिता) जगदेव कुमार निवासीगण ग्राम व पोस्ट सुह्रा थाना गुरसराय तहसील गरीठा जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

१. दुलीचन्द्र तनय दयाराम निवासी नई बस्ती रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी  
.....पंजीकृत स्वामी बुलेरो सं. यू.पी. ९३ बी डी ६०२७  
२. दीपू श्रीवास उर्फ हरगोबिन्द तनय दुलीचन्द्र निवासी नई बस्ती रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला  
.....चालक बुलेरो सं. यू.पी. ९३ बी डी ६०२७  
३. फ्यूचर जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. ६ फ्लोर टावर २ इण्डिया बुल्स फाईनेन्स सेंटर भारत मार्ग एल्फाई  
स्टोन रोड मुम्बई ४०००१३ महाराष्ट्र

.....बीमाकर्ता वाहन बुलेरो सं. ९३ बी डी ६०२७

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री महेश चन्द्र भार्गव  
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राजीव शर्मा

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। यह दावा श्रीमती सावित्री पत्नी जगदेव की मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु पर ₹ ३८,५०,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष उपस्थित। याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से २०बी सुलहनामा दाखिल किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

२०बी पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं. ३ फ्यूचर जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. के मध्य हुआ सुलहनामा २०बी उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया है। २०बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ८,७०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २०बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २०बी में दर्शित कुल ₹ ८,७०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २०बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ फ्यूचर जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनांक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ८,७०,००० (आठ लाख सत्तर हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल [po-mact.jh@up.gov.in](mailto:po-mact.jh@up.gov.in) पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर धनराशि में से याचीगण ५०-५० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ की ७५ % धनराशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एन्युटी बनाई जाएगी व २५ प्रतिशत भाग नगद जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के प्राप्त कर सकेंगे। याची सं. २ की समस्त धनराशि उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सर्वोच्च दर देने वाली सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिए निवेशित की जावेगी। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी